राजस्थान सरकार

अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली केम्वे के सामने आगरा रोड जयपुर

ई मेलः—mrh.sap@gmail.com

क्रमांक 912

दिनांक 8/8/2018

ई निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की और से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासियों की निम्न सेवा/सामग्री के लियें ई निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.स.	NIT सं.	सेवा का विवरण	अवधि	अनुमानित लागत	अमानत राशि	ऑनलाइन निविदा प्रपत्र डाउन लोड व जमा/अपलोड करने की अन्तिम दिनांक	ऑनलाइन तकनीकी निविदा खोलने की दिनाक	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	07/2018–19	लगभग 275 मानसिक विमदित आवासियों हेतु दोनो समय का खाना नाश्ता,चाय(मय गैस सलेण्डर) आदि बनाने का कार्य	1 वर्ष	1600000/–	32000/–	27.08.2018 को 3.00 PM तक डाउन लोड एव 4:00 PM तक अपलोड कराने की तिथि	दिनांक 28.08.2018 को 11.00 AM पर खोली जायेगी	400/–

निविदा संबंधित पूर्ण विवरण वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** व राज्य उपापन पोर्टल **SPPP.rajashthan.gov.in** तथा विभागीय वेबसाईड **sje.rajasthan.gov.in, www.dsap.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है।

अधीक्षक
मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली, जयपुर
विशेष योग्यजन, जयपुर
दिनांक 8/8/2018
कोड नं. 11/23739

क्रमांक 913-921
प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को एक राष्ट्रीय स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र व राज्य स्तरीय समाचार पत्र जिसका परिचालन 50,000 प्रतियां या उससे अधिक हो में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित कराने का श्रम करें।
2. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, विशेष योग्यजन जयपुर।
3. प्रबंधक आर.आई.एस.एल. जयपुर को भेजकर निवेदन है कि http://eproc.rajasthan.gov.in पर निविदा प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
4. ACP सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेज कर लेख है कि विभागीय वेबसाईड **sje.rajasthan.gov.in**,अपलोड करवाने का श्रम करें।
5. प्रोग्रामर निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि राज्य उपापन पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर एवं **SPPP.rajashthan.gov.in** पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
6. श्रीमान सहायक निदेशक/उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
7. सुश्री मनीषा बाई मीना, कनिष्ठ लेखाकार को निर्देशित किया जाता है कि निविदा अपलोड संबंधी समस्त कार्य करेंगी।
8. नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु कार्यालय **SJE/SAP**
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड

अधीक्षक
मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली
विशेष योग्यजन, जामडोली, जयपुर
कोड नं. 11/237

परिशिष्ठ "अ"

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड़,जयपुर
निविदा प्रपत्र – तकनीकी बिड़ (स्टेज–1)

ई मेलः–**mrh.sap@gmail.com**

1. विषयः– जॉब बेसिस पर खाना, नाश्ता, चाय आदि बनाने के कार्य व्यवस्था के लिये निविदा प्रपत्र।
2. निविदा करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पूरा पता ....
3. निविदा फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाईल नं...
4. निविदादाता का ई–मेल पता...
5. संदर्भ निविदा क्रमांक 07/**2018–19 दिनांक**........................
6. हम **अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर** द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या 07/**2018–19** दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट(इनके सभी पृष्टों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गयी उक्त निविदा सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
7. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण

क्र.स.	प्रमाण पत्र का प्रकार	हां या ना	जारी होने की तिथि/वैद्यता/बैंक का विवरण
1.	ई– टेण्डर के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 400/– जमा कराने का पोस्टल ऑर्डर नम्बर/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक .... दिनांक .... राशि .... रूपये .... प्रस्तुत किये जाने का विवरण		
2.	ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क राशि रूपये 1000/– जमा कराने का पोस्टल ऑर्डर नं./बैंकर चैक......... .... दिनांक .... राशि .... रूपये .... प्रस्तुत किये जाने का विवरण		
3.	बयाना रूपये राशि रूपये............... का डिमाण्ड ड्राफ्ट का नं./बैंकर चैक नं. .... दिनांक .... राशि का विवरण		
4.	कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (निविदा शर्त 7 के अनुसार)		
5.	श्रम विभाग पंजीयन प्रमाण पत्र		
6.	GST का प्रमाण पत्र		
7.	वित्तीय क्षमता संबधी प्रमाण पत्र (निविदा शर्त 8 के अनुसार)		

8.	आयकर स्थाई खाता संख्या का प्रमाण पत्र		
9.	परिशिष्ट द का घोषणा प्रमाण पत्र		
10	पी.एफ./इ.एस.आई.पजीयन प्रमाण पत्र		

8. अन्य संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करें)

....

....

....

9. हम संपुष्टि करते है कि हमारे द्वारा प्राईस बिड़ प्रस्तुत कर दी गई है।

10. निविदा शुल्क, ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक मूल रूप (भौतिक रूप से) निर्धारित अवधि तक अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली, जयपुर में जमा होने की स्थिति में ही ई–निविदा खोली जायेगी। कृपया इस का विशेष ध्यान रखें तथा उक्त डी.डी./ बैंकर्स चैक की स्केन कॉपी ई–निविदा के साथ अपलोड करें।

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर मय नाम

नोट :–

1. उपरोक्त सारणी में दस्तावेज प्रस्तुत किये है अथवा नहीं, उसके आगे हां या नहीं उसके जारी होने की तिथि/वैद्यता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्त्व निविदादाता का है इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
2. परिशिष्ठ 'अ' तकनीकी बिड़ है इसके साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं "अ" "स" एवं "द" प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल हस्ताक्षर शुदा अपलोड करें, संलग्न किये जाने है।
3. परिशिष्ठ 'ब' प्राईस बिड़ है, वह तकनीकी निविदा में सफल/योग्य निविदादाताओं की ही खोली जावेगी।
4. सफल निविदादाताओं की प्राईस बिड़ खोलने की तिथि एवं समय की सूचना निविदादाताओं को उनके मोबाईल पर दे दी जायेगी।
5. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पृथक पृथक फोल्डर बनाकर अपलोड की जावें।

परिशिष्ठ ''ब''

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड़,जयपुर

निविदा प्रपत्र – प्राईस बिड़ (स्टेज–2)

ई मेलः–**mrh.sap@gmail.com**

1. विषयः– खाना, नाश्ता, चाय आदि बनाने के कार्य व्यवस्था जॉब बेसिस पर कराने के लिये निविदा ।
2. निविदादाता फर्म का नाम एवं डाक का पूरा पता ....
3. निविदा फर्म / संवेदक का फोन एवं मोबाईल नं..
4. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांक 07 / **2018–19 दिनांक**.........................
5. निविदादाता का ई–मेल पता ....
6. हम **अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर** द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या 07 / **2018–19** दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट(इनके सभी पृष्टों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गयी उक्त निविदा सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
7. आवासियों के खाना, नाश्ता, चाय आदि बनाने के कार्य की निविदा बाबत्। हमारी दर निम्न प्रकार है:–

क्र.स.	कार्य का विवरण	कुल मासिक दर	विवि
1.	लगभग 275 आवासियों की दोनों समय खाना, चाय, नाश्ता आदि बनाने का कार्य (मय गैस सलेण्ड़र की लागत गैस भट्टी आदि की मरम्मत एवं रखरखाव, एवं बर्तन आदि की सफाई एवं समस्त सामग्री सहित)	(मय समस्त करों एवं आनुषंगिक प्रभारों के विवरण सहित) रूपये अक्षरे..	

8. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 7 दिवस की अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा।

9. ऊपर अंकित की गयी दरें एक वर्ष के लिये मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।

10. (अ)दरें शब्दों एवं अंकों में दोनों रूप में स्पष्ट लिखी जावें। दरों में कोई त्रुटि एवं ऑवर राईटिंग नहीं की जावें।

(ब)अस्पष्ट वाक्य जैसे टैक्स पैड, कर सहित, ऐज एप्लिकेबल का प्रयोग नहीं किया जावें।

(स)दर एवं टैक्स का अलग उल्लैख किया जावें।

(द)दर ई–टेण्डरिंग के निर्धारित फॉर्मेट **BOQ** में ही दी जावें।

11. यह प्राईस बिड़ है जो योग्य निविदादाता की ही खोली जायेगी। इसके साथ कुछ भी संलग्न नहीं किया जायें।

12. निविदा भराने की प्रक्रियाः–

(अ)परिशिष्ठ ''अ'' तकनीकी बिड़ है। तकनीकी बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ठ ''अ ''स एवं ''द'' डिजिटल हस्ताक्षर शुदा प्रस्तुत करें।

(ब)परिशिष्ठ ''ब'' प्राईज बिड है, तकनीकी बिड के योग्य निविदादाता की ही प्राईज बिड खोली जायेगी।

(स)प्राईज बिड को भरने हेतु परिशिष्ठ ''अ ''ब ''स एवं ''द'' की शर्तों को ध्यान रखे।

(द) प्राईज बिड में दरें अंकित करने हेतु परिशिष्ठ ''स'' की शर्तों की पूर्ण पालना की जायें।

13. प्राईस बिड़ को भरते समय परिशिष्ठ अ, ब, स एवं द की शर्तो को ध्यान में रखें किसी भी शर्त की अवहेलना पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर मय नाम

प्रतिबन्ध एवं शर्ते

टिप्पणी :– निविदादाताओ को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढना चाहिये तथा अपनी निविदाये भेजते समय इन्हे पूर्णरूप से स्वीकार किया जाना चाहिये।

1. निविदा भरने की प्रक्रिया परिशिष्ठ अ एवं ब तथा निविदा की विस्तृत शर्तो के अनुसार भरी जावें।
2. निविदा हेतु योग्यता – निविदा फर्म, कम्पनी या संस्था द्वारा भरी जा सकती है। फर्म आदि के निविदादाता द्वारा फर्म आदि के गठन के किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबंधित फर्म/संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा। संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जावेगा जबकि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार को रसीद उन सब को बाध्य करेगी। बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार को रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।
3. निविदादाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंकों एवं शब्दों दोनों में लिखी जानी चाहिये। इसमें कोई त्रुटि या कोई ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। निविदादाता द्वारा प्रत्येक पृष्ट एवं कांट छांट पर पूर्ण हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है। यदि कोई शुद्धि करनी हो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिऐं एवं दिनांक सहित उस पर डिजिटल हस्ताक्षर किये जाने चाहिऐं। शब्दों एवं अंकों में अंकित दर में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित दर को अधिकृत मानकर गणना में शामिल किया जायेगा।
4. संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओं पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
5. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द किये जाने का अधिकार क्रय समिति का होगा।
6. निविदादाता को अनुमानित लागत राशि रू 1600000/– का 2 प्रतिशत राशि रू. 32000/– बयाना राशि (अर्नेस्टमनी) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के द्वारा अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह के नाम निविदा पत्र के साथ जमा करानी होगी। बिना बयाना राशि जमा कराये निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. फर्म को चिकित्सालय/मंद बुद्धि संस्थान में खाना बनाने का न्यूनतम दो वर्ष का निरन्तर संतोषप्रद कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। जिसके क्रम में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव का प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (प्रमाणित प्रतियां) उस के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. आयकर स्थायी खाता संख्या (पेनकार्ड) एवं श्रम विभाग के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति, ई.एस.आई./पी.एफ. का पंजीयन प्रमाण पत्र, GST NO. तथा बयाना राशि प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। उसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। सर्विस निविदादाता फर्म का खाना बनाने संबंधित क्षेत्र में गत 1 वित्तीय वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम पन्द्रह लाख

रूपये होना अनिवार्य है। इसके प्रमाण स्वरूप चार्टेड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र (जिसमें राशि का उल्लेख हो) निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, उसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। टर्न ओवर संबंधी कार्यादेश जो कि संबंधित संस्था द्वारा जारी किया गया हो तकनीकी बिड़ के साथ प्रस्तुत करें।

9. विधि मान्यताः निविदायें उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।

10. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सौपेगा या उप भाड़े (सबलैट) पर नहीं देगा।

11. निविदादाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

12. असफल निविदादाताओं को बयाना राशि एक माह में (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) वापस कर दी जायेगी।

13. बयाना राशि का समपहरणः– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जायेगाः–

I. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें रूपान्तरण करता है।

II. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।

III. जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।

IV. जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

V. यदि बोली लगाने वाला राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम और नियमों के अध्याय –6 में विर्निदिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्य निष्ठा की संहिता के किसी उपलब्ध को भंग करता है।

14. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :–

I. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार 1000/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदायें स्वीकार की गई है। उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई, 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी।

II. निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

III. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

IV. प्रतिभूति राशि अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर के नाम देय होगी।

V. प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगेः–

a) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति।

b) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।

c) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्ड़र वेल्यू) पर स्वीकार किया जावेगा।

d) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर) जो अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जयपुर के नाम की जायेगीं।

VI. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

VII. प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया/वसूली नहीं है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

15. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जावेगा :–

I. जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

II. जब निविदादाता संपूर्ण कार्य संतोषजनक ढ़ंग से करने में असफल रहा हो।

III. प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामलों में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा।

16. ठेके की एक वर्ष की अवधि में यदि खाना, नाश्ता, चाय आदि बनाने का कार्य संतोषजनक पाया गया तो ठेका विभाग विकल्प पर 6 माह पर उन्हीं दरों पर बढ़ाया जा सकेगा। जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा। 6 माह की अवधि के बाद दोनों की सहमति से 6 माह की अवधि और बढ़ायी जा सकेगी।

17. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार अधीक्षक को होगा।

18. सरकार द्वारा विहित सभी कर फर्म द्वारा ही वहन किया जावेगें

19. भुगतान :– भुगतान अग्रिम नहीं किया जायेगा। जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

20. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, तो उसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्ते को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

21. क्रय समिति किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन कार्यो के लिये निविदादाताओं ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

22. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नालिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

I. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभिप्रमाणित प्रति।

II. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

III. एक मात्र फर्म के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता टेलिफोन नंबर, मोबाईल नंबर

IV. कंपनी के मामले में कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

23. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तो के उल्लघंन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा एवं मान्य होगा।

24. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।
25. संस्था में आवासियों की खाने के कार्य में किसी भी दिन अवकाश नहीं रहेगा। खाना बनाने वाले कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं होने चाहिए तथा पूर्ण स्वस्थ हो। भोजन कर्मचारी प्रातः 06.00 बजे से संस्था में उपस्थित होगें एवं सायं आवासियों के द्वारा खाना खाने के बाद जावेगें। आवश्यकतानुसार कार्य समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है, ठेकेदार को चाय, नाश्ता प्रातः 07.00 बजे से 08.00 बजे तक, सुबह का भोजन 11.00 बजे से 12.00 बजे तक एवं सायं काल का भोजन 07.00 बजे से 08.00 बजे तक तैयार कर आवासियों को खिलाना होगा।
26. खाना, नाश्ता आदि निर्धारित समय पर तैयार कर उपलब्ध करवाने होगें। निर्धारित समय के विलम्ब पर निम्नानुसार परिनिर्धारित क्षति देय होगी :-

a. निर्धारित समय से 1/2 घन्टा विलंब के लिये	2.5 प्रतिशत	एक दिन की राशि पर
b. निर्धारित समय से 1 घंटा विलंब के लिये	5 प्रतिशत	एक दिन की राशि पर
c. निर्धारित समय से 1 1/2 घंटा विलंब के लिये	7.5 प्रतिशत	एक दिन की राशि पर
d. निर्धारित समय से 2 घंटे विलंब के लिये	10 प्रतिशत	एक दिन की राशि पर

27. खाना, चाय, नाश्ता आदि बनाने की दरे मय उपयोग में ली जाने वाली गैस की लागत, गैस भट्टी एवं फिटिंग की मरम्मत-रखरखाव, बर्तन आदि एवं उनको साफ करने की समस्त सामग्री एवं अन्य समस्त करों एवं आनुषंगिक प्रभारों सहित प्रस्तुत की जावेगी। (खाना बनाने के समस्त बर्तन, गैस भट्टी इत्यादि ठेकेदार के ही होगें)
28. ठेकेदार को भोजन एवं नाश्ता बनाने हेतु 7 कर्मचारी रखने होगें। लगभग 275 आवासियों हेतु दोनों समय रोटी, दाल, सब्जी, चाय, नाश्ता, अण्डे उबालने, छिलना तथा खिचड़ी बनान, खाने के बर्तनों की सफाई एवं भोजन नाश्ता परोसना आदि कार्य करने होगें। खाना खिलाने के बाद आवासियों के मुंह एवं हाथ साफ करना होगा। खिचड़ी बनाना, खाने के बर्तनों की सफाई एवं भोजन नाश्ता परोसना आदि कार्य करने होगें। खाना खिलाने के बाद आवासियों के मुंह एवं हाथ साफ करना होगा।
29. ठेकेदार को रसोई कक्ष में पूर्ण स्वच्छता स्वयं के स्तर पर रखनी होगी। समस्त खाद्य सामग्री एवं चपातियां ढक कर रखनी होगी।
30. भोजन की व्यवस्था के लिये अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर द्वारा दिये गये समस्त आदेशों की पालना ठेकेदार को करनी होगी तथा बिना किसी विवाद के ठेकेदार को कार्य करना होगा।
31. भोजन कार्य करते समय यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है जो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लिये मुआवजा आदि देने का भार संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिये किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नहीं होगा।
32. फर्म/संवेदक द्वारा नियुक्त कर्मचारी को दैनिक मजदूरी का भुगतान नियमानुसार करना होगा।
33. न्यूनतम मजदूरी/पी.एफ./ई.एस.आई. व अन्य राजकीय अधिनियम की पालना सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी फर्म/संवेदक की होगी। तथा संबंधित की कटौती के जमा के चालान की प्रति मांगें जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
34. ठेके की अवधि में यदि भोजन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जाती है और फर्म/संवेदक इस अवधि में खाना बनाने का कार्य करने में असमर्थ रहती है तो विभाग द्वारा संवेदक के रिस्क व कोस्ट अपने स्तर पर भोजन बनाने में राशि व्यय की जा सकेगी और वह राशि संवेदक को देय मासिक बिल की राशि में से अथवा उसके

द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि में से समायोजित कर ली जावेगी। लाभ की स्थिति में संवेदक का कोई अधिकार नहीं होगा।

35. भोजन कर्मचारियों की उपस्थिति कार्यालय के प्रभारी/कर्मचारी के पास उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज करानी होगी। संवेदक द्वारा नियुक्ति से पूर्व भोजन कर्मचारियों के निवास स्थान/स्थायी पते का पूर्ण विवरण (आई.डी.सहित) उपलब्ध कराना होगा एवं अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र एवं फोटो उपलब्ध कराना होगा। बिना पहचान पत्र विमंदित गृह में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
36. समस्त भोजन कार्य करने के पश्चात् रसोई की सफाई एवं कचरे को उचित स्थान पर डालने की व्यवस्था करनी होगी।
37. भोजन कर्मचारियों को अधीक्षक के आदेशानुसार निर्धारित रंग का एवं संवेदक फर्म का नाम लिखा हुआ एप्रिन पहनना अनिवार्य होगा। एप्रिन फर्म को उपलब्ध कराना होगा। भोजन बनाते समय सिर/बालों को कैप पहनकर खाना बनाना होगां।
38. अधीक्षक/निरीक्षक कमेटी/उच्चधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय फर्म से संबंधित कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर 2000/- की कटौती एक बार में की जावेगी।
39. अधीक्षक के आदेश पर कुक बदलने होगें, किसी कुक से कोई त्रुटि होती है तो फर्म/संवेदक उसका पूर्ण जिम्मेदार होगा।

उपरोक्त कार्य संबंधी शर्ते, मैनें पढ़ ली है, और स्वीकार किया है।

हस्ताक्षर निविदादाता

परिशिष्ट "द"

घोषणा पत्र

मैं/ हम यह घोषणा करते है कि मैं/हमने निविदा शर्तो के विरूद्व कोई शर्ते नहीं लगाई हैं अगर कही अंकित कर दी गई है तो वह वापसी ली हुई मानी जाती हैं/मानी जावेगीं।

यह है कि यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा। और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई है तो उसे निरस्त कर अमानत राशि (सिक्यूरिटी) जब्त कर सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पता